Expert Committee Report

हरियाणा के गुरुग्राम एवं नूह राजस्व जिलों में निजी कंपनी इलेवन पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम द्वारा समानांतर विद्युत वितरण लाइसेंस (Parallel License) हेतु हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) में याचिका दायर की गई है। यह कंपनी एक वर्ष पुरानी है, जो 06 जून, 2025 को बनी है। इलेवन पॉवर कंपनी ने तीन कंपनियों के साथ गठबंधन किया है, जिसमें HEC Infra Projects Limited, अहमदाबाद (गुजरात), Advait Energy Transitions Limited, अहमदाबाद (गुजरात) एवं Vision India Services (VIS), नोएडा की है। पावर सैक्टर में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस लेने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 एवं Distribution of Electricity Licence (Additional Requirements of Capital Adequacy, Creditworthiness and Code of Conduct) Rules, 2005 (संशोधित 2022) के अंतर्गत मुख्य पात्रता मानदंड हैं:-

1. पूंजी पर्याप्तता (Capital Adequacy)
2. साख योग्यता (Creditworthiness)
3. आचार संहिता (Code of Conduct) का पालन

कंपनी ने लगभग ₹4,717 करोड़ के पूंजी निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिसमें इक्विटी लगभग ₹1,415 करोड़ बताई गई है और कंपनी की चुकता पूंजी ₹1 करोड़ है ।

Recommendation

विशेषज्ञ समिति तमाम सबूतों और दस्तावेजों को देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि इलेवन पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम को लाइसेंस देने में कोई दिक्कत नहीं है ।